अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़

किशनलाल बनाम रतनलाल

मुकदमा वाद पत्र नं. 168 सन् 2020
(2020/00395)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24 8/2022	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. पर अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता प्रतिवादी। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा सेंती की आराजी नम्बर 729 एवं 730 के तत्कालीन खातेदार भेरू व नारायण पिता तारू गुजर द्वारा प्लाटिंग हेतु संयुक्त प्लान का अनुमोदन वरिष्ठ नगर नियोजक से कराया जाकर प्राधिकृत अधिकारी कृषि भूमि रूपान्तरण उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ को भिजवाया गया। उक्त आराजीयात का सम्पूर्ण रकबा का विधिवत रूपान्तरण कराने हेतु खातेदार भेरू व नारायण के पिता तारू गुजर ने संयुक्त रूप से आवेदन प्राधिकृत अधिकारी भूमि रूपान्तरण उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ के यहां प्रस्तुत किया, जिस पर मिसल नम्बर 379/99 दिनांक 14-10-1999 के आदेश द्वारा ग्राम सेंती की आराजी संख्या 730 में से 151.66 वर्ग गज भूमि को [illegible] प्रयोजनार्थ रूपान्तरित किए जाने का विधिवत आदेश पारित हुआ ... लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.09.04 11:57:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

वादी द्वारा मौजा सेंती प.ह. सेंती की आराजी संख्या 730 बाबत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद पत्र प्रस्तुत किया है। अविवादक प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. मे वर्णित तथ्यों एवं तर्क मे प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर ग्राम सेंती की आराजी संख्या 730 की भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रुपान्तरित हो चुकी है, जिससे रुपान्तरित भूमि के सम्बन्ध मे वाद पत्र न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार का नही रहता है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादी का वादपत्र न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार का नही होने से खारीज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। निर्णयानुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते

पदनाम सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.09.04 11:57:04 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म

और इस आदेश के द्वारा ग्राम सेंती की आराजी नम्बर 730 आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित होकर कृषि भूमि नही रही। आदेश दिनांक 14-10-1999 के अनुसरण मे भेरू, नारायण पिता तारू गुजर के नाम 151.66 वर्ग गज भूमि का प्लाट संख्या 7 बी आवासीय रूपान्तरण का पट्टा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया। पट्टे के साथ संलग्न नक्शे अनुसार पूर्व दिशा मे 30 फीट रोड दर्शायी गयी और ले आउट प्लान के अनुसार भूखण्ड बनाये गए। रूपान्तरित भूमि के बाद शेष रहा रकबा प्लान के अनुसार सार्वजनिक सडके एव सार्वजनिक सुविधाओं पार्क आदि के लिए रिजर्व रखी गयी, जो विधि अनुसार नगर परिषद वर्तमान मे नगर विकास न्यास चित्तौडगढ मे निहित हो गयी। इस प्रकार ग्राम सेंती की आराजी नम्बर 730 मे कोई रकबा कृषि भूमि के लिए अवशिष्ट नही रहा है। आवासीय प्रयोजनार्थ उक्त ग्राम सेंती की आराजी संख्या 730 के रेवेन्यु रेकार्ड मे भूमि रूपान्तरण का नोट नही लगने के कारण यह गलत वाद एवं प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय मे प्रस्तुत किये है, जो खारिज योग्य है। आराजी नम्बर 730 आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित हो चुकी है, और अवशिष्ट भूमि सार्वजनिक सुविधाओं एवं रोड आदि के लिए छोडी गई हुई भूमि के सम्बन्ध मे जो वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया वह राजस्व न्यायालय के समायत योग्य नही है, वह दीवानी न्यायालय के समायत योग्य [illegible] आराजी नम्बर 730 को आवासीय [illegible] भेरू, नारायण

---- लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.09.04 11:57:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
जिला चित्तौड़गढ़

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	कृषि आराजी है, जिससे वादी के वाद पत्र में वर्णित अभिवचन से वाद पत्र राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। प्रतिवादीगण ने अपना बचाव करने की चतुराई से राजस्व रिकार्ड के विपरीत कथित झूठे व अवैधानिक तथ्यों का वर्णन कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो अर्थहीन है। कथित तथ्य शहादत से ही साबित किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण खारिज योग्य है। विवादित आराजी कृषि आराजी है, मौके पर वादी एवं प्रतिवादी 1 से 5 काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है, वादी के अभिवचनों के आधार पर वाद पत्र पोषणीय मानकर कार्यवाही की जाना आवश्यक है। भेरू व नारायण दोनों अनपढ़ कृषक व्यक्ति होकर प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों अनुसार किसी प्रकार की कार्यवाही आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण बाबत् ~~नहीं~~ उनके द्वारा नही कराई गई। प्रार्थना पत्र मे वर्णित कार्यवाही गलत एवं फर्जी है। अधिवक्ता वादी/विपक्षी ने न्यायिक दृष्टान्त राजस्व मण्डल राज० अजमेर (केस ज्यपदर) रिविजन नं. 24/97 अर्जुन मनोहरी बनाम उपनिवेशक निर्णय दिनांक 5-5-2000 एवं Supreme Court of India के Civil Appeal No. 4665/2021 श्रीमती Shri Hari Hanumandas totala V/s Hemant Vithal Kamat Decided on 09/08/2021 प्रस्तुत कर जवाब प्रार्थना पत्र वादी/विपक्षी खारिज किये जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. खारिज किये जाने बाबत् निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन/अध्ययन कर प्रस्तुत दस्तावेजात व अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस को ध्यान से मनन किया। ---- लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.09.04 11:57:04 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते जिला चित्तौड़गढ़

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज०)

पिता तारू गुजर द्वारा स्थानान्तरित कराने के पश्चात एप्रूव्ड प्लान अनुसार भी प्लाटिंग की गई है उनमें से कई प्लाट्स फर्दन-फर्दन पंजीकृत विक्रय पत्रों के माध्यम से पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर क्रेताओं को कब्जे दे दिए गए है, इन भूखण्डो पर क्रेताओं ने आवासीय स्थानान्तरित भूमि पर अपने मकानात बना लिए है और निवास कर रहे है। प्लान अनुसार सार्वजनिक सुविधाओं के लिए जो भूमि रिजर्व रखी जाती है वह भूमि स्वायत्त शासन विभाग या सरकार की हो जाती है, खातेदार का कोई अधिकार नही ~~रहता~~ रहता है। ऐसी स्थिति मे यदि खाता जमाबन्दी मे भैरू, नारायण पिता तारू गुजर या उनके वारिसान का नाम का उल्लेख हो गया तो वह विधि की दृष्टि से प्रभावहीन व शून्य है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण / प्रार्थीगण ने आर.आर.डी. 2000 पेज 483 एवं ciatation 2017(3) DNJ (Raj) 1022 Rajasthan High Court (Jaipur Bench) पेज सं. 1025 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सि.प्र.सं. स्वीकार कर वादी का वाद पत्र निरस्त किए जाने बाबत् निवेदन किया।

अधिवक्ता वादी / विपक्षी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी नम्बर 730 वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की पैतृक आराजीयात होकर संयुक्त एक हिस्से की होने से, वादी आराजी का वैधानिक बटवारा चाहता है और राजस्व रेकार्ड मे गलत प्रविष्टियों को [illegible] चाहता है इजराय रेकार्ड जमाबन्दी [illegible] ---- लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.09.04 11:57:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर, [illegible] जिला चित्तौड़गढ़

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]